सचिव
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.2(4)आरबी / 2021 पार्ट–2 / 703
दिनांक : 10 फरवरी, 2025

डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक,
कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि और
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।

महोदय,

प्रो. (डॉ.) कन्हैया लाल श्रीवास्तव को राजभवन के आदेश क्रमांक 770–71 दिनांक 14.02.2022 द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

प्रो. (डॉ.) कन्हैया लाल श्रीवास्तव, कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने, राज कार्य में लापरवाही बरतने व विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने के फलस्वरूप इन्हें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 11क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक 674–75 दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

चूंकि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथासंशोधित) की धारा 11(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है। साथ ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(9) व 11(10) के तहत कामचलाऊ व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.2(4)आरबी/2021 पार्ट–2/704 दिनांक : 10 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलसचिव, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान